सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
कार्तिक 07, मंगलवार, *शाके 1946*-अक्टूबर 29, *2024* *Kartika 07, Tuesday, Saka 1946- October 29, 2024*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वन विभाग (क)

विज्ञप्ति

जयपुर, सितम्बर 30, 2024

संख्या प. 2(53)वन/2024 :-चूंकि निम्नलिखित अनुसूची में दिखाई गई वन भूमि सरकार की सम्पति है अथवा उनमें सरकार के स्वामित्व है अथवा सरकार उनकी सम्पूर्ण वन उपज अथवा किसी अंश की स्वामित्वधारी (Entitled) है।

और चूंकि पूर्वोक्त भूमि में अथवा उस पर सरकारी अथवा व्यक्तियों के अधिकारी की सीमा तथा स्वरूप अभी तक किसी भी प्रकार से लेखबद्ध नहीं किये गये है।

और चूंकि सरकार यह भी विचार रखती है कि पुर्वोवत वन भूमि अथवा बंजर भूमि में अथवा उस पर सरकार या व्यक्तियों के अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप में जांच किया जाना तथा उन्हें लेखबन्द किया जाना आवश्यक है। परन्तु चूंकि इन कार्यों के सम्पादन में जितना समय लगेगा उस बीच में सरकार के अधिकारों को क्षति पहुंचने की आशंका है

इसलिए अब राजस्थान फोरेस्ट एक्ट 1953 (1953 का एक्ट संख्या 13) की धारा 29 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये सरकार इसके द्वारा फोरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर को पूर्वोक्त वनभूमि अथवा बंजर भूमि में या उन घर सरकारी तथा व्यक्तियों के अधिकारों की जांच करके उन्हें लेखबन्द करने हेतु नियुक्त करती है तथा ऐसी जांच तथा अभिलेखन तथा साध्य उसी प्रणाली में किया जायेगा। जैसा कि उक्त एक्ट की धारा 6, 7, 8, 10, 11, (1) 12, 13, 14, 17, 18 तथा 19 में प्रवाहित है।

और एक्ट की धारा 29 की उपधारा (3) कि परन्तुक (Proviso) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेत्तर अनुसरण में राजस्थान सरकार उक्त जांच तथा अभिलेखों के सम्पादित होने तक उक्त वन भूमि और बंजर भूमि को इस विज्ञप्ति द्वारा रक्षित वन घोषित करती है। परन्तु इससे किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष के वर्तमान अधिकारों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आवेगी। और न उन पर कोई प्रभाव पडेगा।

और सरकार उक्त एक्ट की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में यह भी घोषणा करती है, कि उक्त रक्षित वन के ये वृक्ष जो संलग्न द्वितीय अनुसूची में अंकित किये गये है।

राज-पत्र में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तारीख में आरक्षित है और पूर्वोक्त तारीख से उक्त वन में पत्थरों को हटाया जाना अथवा चुना या कोयला जलाया जाना अथवा किसी प्रकार की वन उपज का संग्रहित किया जाना अथवा उसे किसी निर्माण अथवा पशुपालन अथवा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए खण्डित किया जाना अथवा साफ किया जाना निषिद्ध करती है।

संलग्नः- प्रथम अनुसूची (वन भूमि व बंजर भूमि)

द्वितीय अनुसूची (संरक्षित वृक्ष)

राज्यपाल की आज्ञा से,

बीजो जॉय,
विशिष्ठ शासन सचिव, वन।

प्रथम अनुसूची

क्र.सं.	ब्लाक का नाम	नाम तहसील	नाम जिला	सीमा			विवरण			
				दिशा	भूमि	खसरा न0	नाम ग्राम	खसरा न0	क्षेत्रफल (बीघा में)	क्षेत्रफल (है0 मे)
1	रक्षित वनखण्ड अम्बारानी-A	तालेडा	बून्दी	उत्तर	राजस्व भूमि	802,805,809,810,808,792	धनेश्वर	812	100	16.1874
				दक्षिण	वनखण्ड अम्बारानी की वन भूमि	1356/817, 1358/818, 1362/824, 1368/831, 1370/832, 856, 857		813	120	19.4249
				पूर्व	वनखण्ड अम्बारानी की वन भूमि	1382/876, 1380/875, 1378/868, 1367/867, 869,866,859,855,858		814	120	19.4249
				पश्चिम	वनखण्ड अम्बारानी की वन भूमि	1174/157,1175/157, 156		815	100	16.1874
								816	80	12.9499
								1355/817	39.13	6.4183
								1357/818	61.17	10.0119
								1359/819	119.09	19.3358
								820	120	19.4249
								821	100	16.1874
								822	80	12.9499
								823	96	15.5399
								1361/824	42.16	6.9282
								1367/831	22.06	3.6098
								1369/832	24.06	3.9335
								1375/867	122.03	19.7729

								1377/868	135	21.853
								1379/875	122.11	19.8377
								1495/857	35	5.6656
								1381/876	45.14	7.3976
								811	180	29.1373
								1349/803	131	21.2055
								804	216	34.9648
								1350/803	9	1.4569
योग									**2222.15**	**359.8054**

नोटः- जिला कलक्टर बून्दी के आदेश क्रमांक 95 दिनांक 08.08.2016 द्वारा 2213 बीघा 15 बिस्वा भूमि रामगढ अभयारण्य क्षेत्र से बून्दी शहर के आबादी क्षेत्र को बाहर निकालने के ऐवज में वन विभाग को स्थानांतरित हुई है परन्तु खसरा न0 1350/803 राजस्व रिकार्ड में वन भूमि दर्ज होने के कारण उक्त रकबे को इस वनखण्ड शामिल किया गया है।

हस्ताक्षर

(जसवीर सिंह)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेंज- जवाहर सागर

हस्ताक्षर

(अभिमन्यू सहारण)
उप वन संरक्षक (वन्यजीव)
मुकन्दरा राष्ट्रीय उद्यान कोटा

द्वितीय अनुसूची

वनखण्ड - अम्बारानी-A

पेडो की सुची

क्र.स	वनस्पतिक नाम	हिंदी नाम
1	Angogeism Pendulla	धोक
2	Boswelliaa Serrala	सालर
3	Acacia Catachu	खेर
4	Butea Monosperma	ढाक
5	Diospyras Melaxylan	तेन्दू
6	Aegle Marmilos	बिल्व पत्र

हस्ताक्षर

(जसवीर सिंह)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेंज- जवाहर सागर

हस्ताक्षर

(अभिमन्यू सहारण)
उप वन संरक्षक (वन्यजीव)
मुकन्दरा राष्ट्रीय उद्यान कोटा

कार्यालय उप वन संरक्षक (वन्यजीव) मुकन्दरा राष्ट्रीय उद्यान, कोटा

प्रमाण पत्र

जिला- बून्दी
तहसील-तालेडा
रक्षित वनखण्ड़-अम्बारानी-A
ग्राम-धनेश्वर

1. संलग्न प्रारूप मे दर्शायी गई वन भूमि रामगढ अभयारण्य क्षेत्र से बून्दी शहर के आबादी क्षेत्र को बाहर निकालने के एवज में प्राप्त गैर वन भूमि है जिसका वन विभाग के नाम अमलदरामद की जा चुकी है। भूमि की किस्म मु. जंगलात है।
2. वर्तमान राजस्व लेखों में महकमा जंगलात दर्ज है। मौके पर 359.8054 है क्षेत्रफल में पूर्व से ही संघन वन है।
3. भूमि पर वृक्षों का घनत्व 0.1 से 0.3 है
4. सीमावृति क्षेत्र की स्थिति, राजस्व व वन भूमि है। तथा सीमा का उल्लेख एवं खसरा व रकबा विज्ञप्ति में दर्ज कर दिया गया है।
5. वनखण्ड का मानचित्र नक्श संलग्न है। जिसमें खसरा न0 व रकबा दर्ज है। एवं जी.टी.शीट की छाया प्रति संलग्न है।
6. प्रस्तावित वनों के प्रारूप यथा विधि पूर्व में नही भेजने के कारण रहे है। किन्तु अब उल्लेखित वन क्षेत्रों को कानूनी स्वरूप देने हेतु प्रचलित नियमों के अनुरूप शासकीय गजट में प्रकाशन होना नितान्त आवश्यक है। जिससे जिले की भूमि पर विभाग का साक्ष्य सिद्ध हो सकें।
7. राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद वन विभाग के नाम हो रहा है।
8. उपरोक्त वनखण्ड वन भूमि रामगढ अभयारण्य क्षेत्र से बून्दी शहर के आबादी क्षेत्र को बाहर निकालने के एवज में आयी वन भूमि के बदले आयी राजस्व भूमि जिसका अमलदरामद वन विभाग के नाम हो चुका है।
9. वनखण्ड के मध्य खसरां न0 1350/803 स्थित है, जिसको वन खण्ड के रकबे में शामिल कर लिया गया है।
10. आज दिनांक 02.07.2024 तक इस भूमि का पूर्व में राजपत्र में प्रकाशन नहीं हुआ है। एवं न ही प्रकाशन हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं।

हस्ताक्षर	**हस्ताक्षर**
(जसवीर सिंह)	**(अभिमन्यू सहारण)**
क्षेत्रीय वन अधिकारी	**उप वन संरक्षक (वन्यजीव)**
रेंज- जवाहर सागर	**मुकन्दरा राष्ट्रीय उद्यान कोटा**

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।